

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 2/15
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 2/15

आदेश:-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अगुमरा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम का 2/15 तहसील में वर्तमान में दर्ज की जमाबन्दी संख्या 2077 में खाता संख्या 180 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	काशवाल	180	गीतादेवी पाल्म डीपसिई	गीतादेवी पाल्म डिलिपसिई

(fhr)
 सहायक कलक्टर
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 03/10/2025

क्रमांक :- 125/377

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 2/15 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालतू रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री गीता देवी पाल्म डिलिपसिई को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhr)
 सहायक कलक्टर
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 पदेन सहायक कलक्टर
 जिला-राजसमन्त